न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./75/2023

1. श्यामलाल भील पुत्र लुम्बा भील जाति भील निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र रामका जाति भील
2. पोलू पुत्र रामका जाति भील
3. महावीर पुत्र मदन जाति भील
4. सांवरा पुत्र मदन जाति भील
5. सीमा पुत्री मदन जाति भील
6. दुर्गादास पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपुत सभी निवासीगण पाड़लियां तहसील भिनाय अजमेर
7. राधाकिशन पुत्र रायचन्द जाति जाट निवासी नान्दसी तहसील भिनाय केकड़ी
8. महेन्द्र दत्तक पुत्र सुवा जाति जाट निवासी चांपानेरी तहसील भिनाय केकड़ी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री शिवचरण चौधरी

2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा पाड़लियां पटवार क्षेत्र पाड़लिया भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 101 में दर्ज खसरा नं. 620 रकबा 1.34, खसरा नम्बर 620/2385 रकबा 0.22 और खसरा नं. 621 रकबा 0.79 कुल किता 3 कुल रकबा 2.35 हैक्ट** जो कि प्रार्थीगणों के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 08 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 09 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 02 द्वारा पत्रावली में दर्ज प्रश्नगत आराजी में पत्थरगढ़ी बाबत् अनापत्ति प्रस्तुत की। अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 08 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 08 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार

किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम पाड़लियां के खाता संख्या 101 संवत 2073–2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा पाड़लियां पटवार क्षेत्र पाड़लिया भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 101 में दर्ज खसरा नं. 620 रकबा 1.34, खसरा नम्बर 620/2385 रकबा 0.22 और खसरा नं. 621 रकबा 0.79 कुल किता 3 कुल रकबा 2.35 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार देवलियाकलां को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी